रजिस्ट्री सं° डी° एल°-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2005/चैत्र 17, 1927
No. 150] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2005/CHAITRA 17, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 31 मार्च, 2005

सं. फेमा 132/2005-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 220(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 7 जुलाई, 2004 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004[1] में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएगी।

(ii) ये संशोधन नीचे दिए गए तारीखों को लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन :-

(i) विनियम 22 में, उप-विनियम (2) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे फरवरी 9, 2005[2] से लागू समझा जाएगा।

"(2) भारत में निवासी व्यक्ति एकल होने के कारण, भारतीय कार्यालय अथवा विदेशी कंपनी की शाखा के अथवा विदेशी कंपनी के भारत में सहायक कंपनी के अथवा ऐसी भारतीय कंपनी, जिसमें कम-से-कम 51 प्रतिशत, तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, विदेशी ईक्विटी को धारण किया है ऐसा कर्मचारी अथवा निदेशक, उक्त विदेशी कंपनी द्वारा प्रस्तावित ईक्विटी शेयर खरीद सकता हैं।

स्पष्टीकरण

इस खंड के प्रयोजन के लिए "अप्रत्यक्ष" का अर्थ, वाहन अथवा स्टेप डाउन अनुषंगी कंपनी के विशेष प्रयोजन के जरिए अप्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारण करना।"

(ii) विनियम 24 में, उप-विनियम (3), निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा जो 1 अक्तूबर 2004[3] से लागू होने की संभावना है:

"(3) ज्ञान आधारित क्षेत्र में भारतीय कंपनी एडीआर/ जीडीआर संबंधित स्टॉक विकल्प योजनाओं के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए निवासी कर्मचारियों को (कार्यकारी निदेशकों सहित) अनुमति दे :

बशर्ते सूचीबद्ध कंपनी द्वारा कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प का मामला सेबी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प और स्टॉक खरीद योजना) दिशानिदेशों, 1999 द्वारा नियंत्रित किया जाए और कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प मामले को असूचीबद्ध कंपनी द्वारा एडीआर/जीडीआर संबंधित स्टॉक विकल्पों के मामले के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाए।

इसके अलावा बशर्ते खरीद के लिए प्रतिफल समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : खंड के प्रयोजन के लिए "ज्ञान आधारित क्षेत्र" का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जो 15 सितंबर 2000 के भारतीय कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के स्टॉक विकल्पों से संबंधित एडीआर/ जीडीआर के मामले के लिए समय-समय पर दिए गए दिशानिदेशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।"

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-III]

एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :—1 मूल विनियमावली मई 8, 2000 के सरकारी राजपत्र सं. सा. का. नि. 456(अ) में भाग II धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई है और तत्पश्चात् नवंबर 19, 2004 के सं. सा. का. नि. 757(अ) द्वारा अधिक्रमित किया गया है।

[2] समीक्षा के बाद, किसी विदेशी कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प खरीद के अंतर्गत प्रस्तावित शेयरों के अभिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय कंपनी में शेयर धारिता अप्रत्यक्ष से धारित होने की स्थिति में भी, प्रत्यक्ष धारिता संबंधी शर्त हटा दी गई है। दिनांक फरवरी 9, 2005 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 32 उसी तारीख से यह विनियम लागू करने के लिए जारी किया गया था।

[3] भारत सरकार ने जुलाई 26, 2004 के अपने प्रेस नोट द्वारा एडीआर/ जीडीआर सहबद्ध कर्मचारी स्टॉक वैकल्पिक खरीद से संबंधित फेमा विनियमों के संशोधनों को आवश्यक बनाते हुए भारतीय कंपनियों द्वारा एडीआर/जीडीआर सहबद्ध कर्मचारी स्टॉक वैकल्पिक खरीद को जारी करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों को आशोधित किया है। अक्तूबर 1, 2004 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14 उसी तारीख से यह विनियम लागू करने के लिए जारी किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st, March, 2005

No. FEMA 132/2005-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 6, and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated 7th July, 2004[1], the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004, namely :—

1. Short title and Commencement :-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange

Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security)(Amendment) Regulations, 2005.

(ii) They shall come into force on the dates specified hereunder.

2. Amendment to the Regulations :-

(i) In Regulation 22, sub regulation (2) shall be substituted with the following which shall be deemed to have come into force with effect from February 9, 2005.[2]

"(2) A person resident in India, being an individual, who is an employee or a director of an Indian office or branch of a foreign company or of a subsidiary in India of a foreign company or of an Indian company in which the foreign equity holding, either directly or indirectly, is not less than 51 per cent, may purchase the equity shares offered by the said foreign company.

Explanation

For the purpose of this clause, 'indirectly' means indirect foreign equity holding through a special purpose vehicle or a step down subsidiary."

(ii) In Regulation 24, sub-regulation (3), shall be substituted with the following, which shall be deemed to have come into force with effect from 1st October 2004 :[3]

"(3) An Indian company in the knowledge based sector may allow its resident employees (including working directors) to purchase foreign securities under the ADR/GDR linked stock option schemes :

Provided that the issue of employees stock option by a listed company shall be governed by SEBI (Employees Stock Option and Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and the issue of employees stock option by an unlisted company shall be governed by the guidelines issued by the Government of India for issue of ADR/GDR linked stock options.

Provided further that the consideration for the purchase does not exceed the ceiling as stipulated by the Reserve Bank from time to time.

Explanation : For the purpose of this clause 'knowledge based sector' means such sectors as have been notified by the Government of India from time to time in terms of its guidelines for the issue of ADR/GDR linked Employees Stock Options by the Indian Companies dated 15th September 2000."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

Foot Note :—1 The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 456(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently superseded *vide* No. G.S.R. 757(E) dated November 19, 2004.

2 After a review, the condition regarding direct holding has been removed to facilitate acquisition of shares under ESOP offered by a foreign company even if the shareholding in the Indian company is held indirectly. AP (Dir Series) Circular No.32 dated February 9, 2005 was issued to give effect to this Regulation from that date.

3 Government of India vide their press note dated 26th July 2004 have modified guidelines for issue of ADR/GDR linked ESOP by the Indian companies necessitating amendment to the FEMA Regulations pertaining to ADR/GDR linked ESOP. AP (Dir Series) Circular No.14 dated October 1, 2004 was issued to give effect to this Regulation from that date.

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अप्रैल, 2005

सं. फेमा 133/2005-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 221(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा 3 के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 3 मई, 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2005 कहा जाए।

(ii) ये 15 मार्च 2005@ से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000, की अनुसूची 1 के खंड 9 के उप-खंड (ग) को निम्नानुसार प्रस्थापित किया जाएगा:

"**पावर ऑफ एटर्नी द्वारा परिचालन:** अनिवासी खाता धारक द्वारा निवासी के पक्ष में दिये गये पावर ऑफ एटर्नी अथवा अन्य प्राधिकार के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों/प्राधिकृत बैंक को अनिवासी बाह्य खाते परिचालित करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते इस प्रकार के परिचालन, सामान्य बैंकिंग के माध्यम से स्थानीय भुगतानों के लिए आहरण **अथवा** स्वयं खाता धारक के प्रेषण तक प्रतिबंधित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में, जहाँ खाता धारक अथवा उसके द्वारा नामित बैंक भारत में निवेश करने के लिए पात्र है, ऐसे निवेश को सरल बनाने के लिए, प्राधिकृत व्यापारी / बैंक, पावर ऑफ एटर्नी **धारक** को खाता परिचालित करने की अनुमति दें। तथापि, निवासी पावर ऑफ एटर्नी **धारक**, को खाते में धारित निधियों को स्वंय खाता धारक को छोडकर, किसी भी स्थिति में, भारत के बाहर प्रत्यावर्तित करने अथवा खाता धारक की ओर से किसी निवासी को उपहार द्वारा भुगतान करने अथवा खाते से अन्य अनिवासी बाह्य खाते में निधियों के अंतरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-III]

एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : @ कमिटी ऑन प्रोसिजर और परफॉरमन्स ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेस (सीपीपीएपीएस) की सिफारिशों के तुरंत अनुपालन हेतु प्रभावी तिथि मार्च 15, 2005 दर्शायी गयी है।

2. मूल विनियमावली राजकीय राजपत्र दिनांक 5 मई, 2000 के जी.एस.आर.सं.388(E) में भाग II, धारा 3, उप धारा 1 में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

दिनांक 09-04-2002 का जी.एस.आर.सं.262 (E)
दिनांक 11-08-2002 का जी.एस.आर.सं.577 (E)
दिनांक 31-12-2002 का जी.एस.आर.सं.855 (E)
दिनांक 11-08-2004 का जी.एस.आर.सं.494 (E)

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st April, 2005

No. FEMA 133/2005-RB

Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Sub-section (3) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 5/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000, namely :

1. **Short title and commencement**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2005.

(ii) They shall come into force on the 15th day of March 2005.@

2. **Amendment of the Regulations**

Sub-clause (c) to clause 9 of Schedule 1 to the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000, shall be substituted as under:

"**Operations by Power of Attorney** : Authorised dealers/ authorised banks may allow operations on an NRE account in terms of Power of Attorney or other authority granted in favour of a resident by the non-resident account holder, provided such operations are restricted to withdrawals for local payments **or** remittance to the account holder himself through normal banking channels. In cases where the account holder or a bank designated by him is eligible to make investments in India, the Power of Attorney **holder** may be permitted by the authorised dealers/banks to operate the account to facilitate such investment. The resident Power of Attorney holder shall not, however, be allowed to repatriate outside India funds held in the account under any circumstances **other than** to the account holder himself, nor to make payment by way of gift to a resident on behalf of the account holder or to transfer funds from the account to another NRE account."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

Foot Note : @ The effective date has been indicated as March 15, 2005 to implement the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services (CPPAPS) urgently.

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 388(E) dated May 5, 2000 in Part II, section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide
G.S.R. No. 262 (E) dated 09.04.2002
G.S.R. No. 577 (E) dated 19.08.2002
G.S.R. No. 855 (E) dated 31.12.2002
G.S.R.No. 494(E) dated 04.08.2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.